Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
मूलांक सं. 8–बी, प्रथम तल, पंजीज पार्क, पूसा रोड
नई दिल्ली–110 060

दूरभाष : 011–40591567, (एक्स. 240),
ई–मेल : delhiarm@kbank.com
वेबसाइट : www.karnataka bank.com
सीआईएन : एल65110के1924पीएलसी001128

अचल संपत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी बिक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधकशुदा/प्रभारित निम्न निम्नलिखित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक अधिग्रहण कर्नाटका बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा 13–02–2019 एवं 16–02–2019 को कब्ज़ा लिया गया है, उसका बिक्रय 22–08–2024 को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "यहाँ जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा, निम्न की रकम्ली हेतु : पीएल ओरबुलाइट एएसबी संख्या 45370006000003001 के अंतर्गत 01.11.2020 से नवीनतम सहित, लागत सहित रु. 16,11,90,774.44 (रुपये सोलह करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार सात सौ चौहत्तर और चौवन पैसे मात्र) की कर्नाटका बैंक लिमिटेड, लखनऊ शाखा, यहाँ संख्या 118, बजैनपत रसवाला स्टेशन रोड, विधानसभा मार्ग, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) सैलर्स कलेक्शन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नियंत्रकों द्वारा प्रतिनिधित (i) श्री पीयूष रस्तोगी (ii) श्री दीपक रस्तोगी, 27 / 18, राजा राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001 (2) श्री पीयूष रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी (3) श्री दीपक रस्तोगी पुत्र श्री नरेंद्र कुमार रस्तोगी, दोनों नंबर 2 और 3 का पता : 14 / 1, जोफिन रोड, लखनऊ–226001 (4) श्री भोला रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चंद्र रस्तोगी (5) श्रीमती नीति रस्तोगी पत्नी श्री दीपक रस्तोगी, दोनों नंबर 4 और 5 का पता : 803, गोलमंडल कोर्ट, लखनऊ–226001 (6) श्रीमती सोनाली रस्तोगी पत्नी श्री पीयूष रस्तोगी (7) श्रीमती सोनिया रस्तोगी पत्नी श्री दीपक रस्तोगी दोनों नंबर 6 और 7 का पता : 14 / 1, जोफिन रोड, लखनऊ–226001 (8) मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, का प्रतिनिधित्व निदेशक श्री परेश रस्तोगी करते हैं, जिनका पता है: नंबर 27 / 18, राजा राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ–226001. जो उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / सह–दायित्वधारकों के रूप में हैं, की ओर से देय मुनाफा है।

अचल संपत्ति का विवरण :

संपत्ति संख्या 1: यूनिट संख्या एलजीएच–3–3 में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का यह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 7.44 वर्ग मीटर है, मिलते तल पर, भूमि में अनुपातिक अविभाजित हिस्सा 4.43 वर्ग मीटर है, जो 27 / 18, 2, फेजाबाद रोड, लखनऊ में स्टैलमार्क आर्केड, लखनऊ में स्थित तथा श्रीमती सोनिया रस्तोगी से संबंधित है। (14.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएँ: पूर्व: दुकान नं. 15, पश्चिम: दुकान नं. 6ए, उत्तर: गलियारा, दक्षिण: पार्किंग
आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 3,96,000.00 (रुपये तीन लाख छियानवे हजार मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 39,600.00 (रुपये उनतालीस हजार छह सौ मात्र)
संपत्ति संख्या 2 : यूनिट नं. एफएच–12 पर स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का यह समस्त भाग, जिसकी माप 30.78 वर्ग मीटर है, कंमन मिलते तल पर, भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सेदारी सहित, जिसका माप 18.71 वर्ग मीटर है, जो 27 / 18, 2, फेजाबाद रोड, लखनऊ में स्टैलमार्क आर्केड में स्थित तथा श्रीमती नीति रस्तोगी से संबंधित है। (13.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएँ: पूर्व: कॉरिडोर, पश्चिम: लिफ्ट और असमान की ओर खुला, उत्तर: दुकान नंबर 12, दक्षिण: कॉरिडोर आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 19,00,000.00 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 1,90,000.00 (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)
संपत्ति संख्या 3 : यूनिट संख्या एफएच–17 में स्थित व्यावसायिक संपत्ति का यह पूरा हिस्सा, जिसकी माप 28.43 वर्ग मीटर केवल मिलते तल पर है, साथ ही भूमि में अनुपातिक अविभाजित हिस्सा 17.29 वर्ग मीटर है, जो 27 / 18, 2, फेजाबाद रोड, लखनऊ में स्थित और श्रीमती सोनाली रस्तोगी से संबंधित है (14.02.2019 को सांकेतिक अधिग्रहण किया गया)
सीमाएँ: पूर्व: दुकान नंबर 1, पश्चिम: दुकान नंबर 3, उत्तर: गलियारा और ओर खुला, दक्षिण: गलियारा आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकती : रु. 19,27,000.00 (रुपये उन्नीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)
जमा / निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 1,92,700.00 (रुपये एक लाख बयानबे हजार सात सौ मात्र)।

(उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान: प्रतिभूत परिसंपत्ति के भोचनार्थ उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।)

(यह सूचना उधारकर्ता/गारंटरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम (6) के उप–नियम (1) के अंतर्गत निर्गत सूचना के रूप में भी प्रेक्षित / प्राप्त हुयी समझी जाए।)

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटका बैंक की वेबसाइट अर्थात www.karnataka bank.com के "22.08.2024 को बेचा ई–नीलामी" शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

ई–नीलामी का संचालन पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 22–08–2024 को प्रातः 11.30 बजे से लेकर के अपराहन 12.30 बजे तक किया जाएगा, जो 05 मिनटों के अतीमित विस्तार के साथ होगा। इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत कर लें और निःशुल्क रूप से प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें तथा मैसर्स अमोलोट, 6392, 2142000600, ईमेल : info@bankauctions.in से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (अनेतिम रूप में 21–08–2024 को) प्राप्त कर लें।

दिनांक : 01–08–2024
स्थान : लखनऊ

कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

अंचल कार्यालय, लखनऊ अंचल
"बड़ौदा हाउस", बी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

निविदा सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ प्रतिभूति फर्म / ऑनसाइट / बाकायी से बैंक के आर्किटेक्ट, कांट्रेक्टर के पैनल में सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है . उक्त निडर की लखनऊ अंचल के सेवाक्षेत्र में उपरी उपस्थिति होनी चाहिये, वांछित जानकारी हेतु बैंक की वेब साइट www.bankofbaroda.co.in के टेंडर सेक्शन पर जाएँ . प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 12 / 08 / 2024 सांय 3 बजे तक है, किसी भी प्रकार की कोरिजेंडम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । शर्तों विवर से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट नियमित रूप से विजिट करें

स्थान – लखनऊ
दिनांक – 02 / 08 / 2024

महाप्रबंधक

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA

पंजी. कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 सीआईएन U67190MH2008PLC187552

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित प्रपत्र IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णितानुसार मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें कर्जदारों से सूचना में वर्णित कथनुसार राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त तारीख गुजरने असफल रहे है, एतद्द्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है और यहां निम्नवर्णित प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधकशुदा/प्रभारित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सचेत के संबंध में संव्यवहार नहीं करने क्षेत्र सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की नीचे वर्णित राशि तथा उस पर नीचे वर्णित तिथि से ब्याज तथा दंड–ब्याज, प्रभार, लागतें इत्यादि चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तारीख / अधिग्रहण तारीख	मांग सूचना के अनुसार राशि और तारीख	कब्जा तिथि
9424771	श्री विक्रम सिंह राठौर (उधारकर्ता के रूप में) और श्रीमती अंजू राठौर (सह–उधारकर्ता)	रु. 11,53,282 / – (रुपये ग्यारह लाख तिरपन हजार दो सौ बयासी मात्र) बकाया 23 / 08 / 2023 तक	29.07.2024

सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण:– अपार्टमेंट फ्लैट संख्या 33, तीसरी मंजिल, एलआईजी, स्कीम डी 03, पॉकेट 04, सेक्टर 34, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित, का संपूर्ण हिस्सा।

दिनांक:– 02 / 08 / 2024
स्थान:– दिल्ली / एनसीआर

हस्ता०/– प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 09, बाइकाबिल टेक, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ई–मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन : U65192DL2010PLC203148

कब्जा सूचना : विनियम सं. 27, हिरो हाउसिंग फाइनेंस लि. बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एतत्पश्चात्) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगानुसार, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही निम्नवर्णित मांग सूचनाएं जिसमें निम्नवर्णित विवरण की भी हैं, जिसमें ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(यों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ ''ऋणकर्ता(ओं)'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक अधिशेषिती, यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबोधित मांग सूचना/सूचनाएं जारी की थी जो अनौपचारिक सूचना/सूचनाओं के बिना ही बकाराशि तथा भविष्य ब्याज, यदि लिए गए हिस्सों के संबंध में देय हैं, का भुगतान, सूचना प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर, जिसे दिए गए हिस्सों के संबंध में देय हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पेशकृत करने एवं अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के तहत उपलब्ध समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक एवं/या कूरियर द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त प्रतिभूतियाकर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यदि वे इकट्ठा हैं, उपलब्ध नहीं को अधोहस्ताक्षरकर्ता के किसी भी कार्यालय पर व्यापार कार्यालय पोर्टल के दौरान उनके पास रखने हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त प्रतिभूतियाकर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे एतत्पश्चात्त की, संशोधित सूचना/सूचनाओं की विधि से या विधि से या विवादों के अंदर उनके प्रतिनिधि नामों के समक्ष यहां इसके नीचे उल्लिखित राशियों का उनके व्यक्तिगत/संयुक्त नाम विभाजित करने अनुसार सभी अन्य खर्चों/लागतों, यदि कोई, के साथ पठित, वर्तमान (10) में निम्नांकित संशोधित तिथियों से संकल्प के भुगतान तथा/अथवा समूची होने की तिथि तक आकलित किया विवरणीयानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के विवरण अधिनियम के धारा 13(2) के अंतर्गत के रूप में, उक्त संशोधनाएं(यों), द्वारा प्रतिभूतियां प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का पर्याप्तकरण के साथ क्रमशः नीचे दर्ज रखा गया है :

ऋण खाता के रोल	कार्यालय(यों)/ विधिक उत्तराधिकारी(यों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)
HHFLUCHOU 20000011716	दिनेशु गाल, अजिता गल	रु. 12,97,837 / – 26-07-2024 रु. 20,00,000 / – 05-07-2024
HHFJAPHOU2 2000023471	अजाज फातिमा, मोहम्मद अजाज, अजाज मिर्जा	रु. 30,48,100 / – 26-07-2024 22–07–2024 के अनुसार

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधकशुदा संपत्तियों का विवरण : फ्लाट नंबर 84, छत्रसाल नंबर 163 विज, के भाग पर बना मकान, जिसका क्षेत्रफल 30.669 वर्ग मीटर यानी 330 वर्ग फीट है, कुल मिलाकर क्षेत्रफल 37.174 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग फीट है, जो कॉम– शांति नगर दूधोली, वार्ड– कैलुआमोर, तहसील और जिला– लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर: 12फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: 12फीट चौड़ा रास्ता, पूर्व: अन्य का मकान, पश्चिम: 16 फीट चौड़ी सड़क, प्रतिभू गुजाब मुराग का घर।

दिनांक: 02–08–2024 स्थान : लखनऊ

हस्ता०/– प्राधिकृत अधिकारी कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

MONEYBOXX

मनीबौक्स फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 523-ए, सोमदत्त चेम्बर-II, 9, पीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
कारपोरेट कार्यालय: वाटिका बिजनेस सेन्टर, ग्राम इलिया प्लेस, द्वितीय मंजिल, गुरुग्राम सेक्टर-1, एम्पी रोड, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
CIN: L30007DL1994PLC260191 | Tel: 011-45657452
info@moneyboxxfinance.com | www.moneyboxxfinance.com

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र मनीबौक्स फाईनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा कम्पनी के शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने के लिए बारहवीं जुलाई 17, 2024 की अभ्यावेदन साधारण नैरक्ष ("ईजीएन") की सूचना जो कि निडेको कोनकोर्ड ("डीसी") अन्य आडेको फिजुलल मध्यम ("ओएएफएम") द्वारा सोमवार, अगस्त 12, 2024 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) पर आयोजित होने वाली ईजीएम के क्रम में जारी की जा रही है।

कम्पनी के शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे यहाँ ईजीएन की सूचना के व्याख्यात्मक कथन w.r.l बिन्दु (बी) के तहत आने वाले संशोधनों पर ध्यान दें।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक कथन

(b) (क) इश्यू के उद्देश्य: कम्पनी वृहद इक्वीटी शेयरों और परिवर्तनीय वारंटों का इश्यू और आवंटन कर रही है, जिसकी आय का मुख्य रूप से कम्पनी के बढ़ते व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जायेगा, जिसमें विकास योजनाओं आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक पूँजी की आवश्यकता एवं कम्पनी की उधार देने की क्षमता और सामान्य कारपोरेट उद्देश्य शामिल हैं।

वस्तु–वार निधियों का उपयोग इस प्रकार होगा:

वस्तु	निधि उपयोग (रू०- करोड़ में)	निधियों के उपयोग के लिए संभावित समय सीमा
ओनवार्ड अप्रूव्ड प्रपोजल पर	256.48	निधि की प्राप्ति के 12 महीने के अंदर उपयोग होने के लिए
सामान्य कारपोरेट उद्देश्य	15	
कुल	271.48	

**निर्धारित समय के भीतर इक्वीटी शेयरों 100% सदस्यता और वारंट को इक्वीटी शेयरों में 100% रूपांतरण पर विचार*

सीएलई परिपत्र संख्या 20221213-47 दिनांक दिसम्बर 13, 2022, के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट राशि भविष्य की व्यवसाय सम्भावी परिस्थितियों के आधार पर +/- 10% भिन्न हो सकती है।

इश्यू से प्राप्त आय के लंबित उपयोग के लिए कम्पनी लागू कानूनों के अनुसार ऐसी आय का निवेश करेगी।

यह देखते हुए कि अधिमान्य मुद्दा परिवर्तनीय वारंट के लिए भी है, वारंट की जारी आय कम्पनी को सेबीआईसीडीआर विनियमनों के अध्याय V के संदर्भ में वारंट के आवंटन की तिथि से महीनों के भीतर प्राप्त होगी और जैसा के अनुमान लगाया गया है, संपूर्ण इश्यू की आय का उपयोग कम्पनी व्यवसायिक आवश्यकताओं और इश्यू आय की उपलब्धता के अनुसार, चरणों में, उपरोक्त सभी वस्तुओं के लिए किया जायेगा ।

इस शुद्धिपत्र को जुलाई 17, 2024 के ईजीएम सूचना का एक अभिन्न अंग माना जायेगा। यहाँ पर उपर उल्लिखित परिवर्तनों को छोड़कर, ई–नोटिंग आदि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं, नोट्स और निर्देशों सहित उपरोक्त ईजीएम की सूचना में सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

ईजीएम की सूचना को शुद्धिपत्र के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।

ईजीएम की शुद्धिपत्र की एक प्रतिलिपि कम्पनी की वेबसाइट viz www.moneyboxxfinance.com पर उपलब्ध है।

कृते मनीबौक्स फाईनेंस लिमिटेड
हस्ता०/–
विनम्रता जुगोत्रा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 01.08.2024

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Regional Director, Northern Region
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **SSG FURNISHING SOLUTIONS LIMITED** having its registered office at Plot No. 112, Ground Floor, Pkt-G, Sec 1, Bawana DSIDC, Landmark Near Shivam Plaza, West Delhi - 110039

.....Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation for alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary general meeting of the members held on July 31, 2024 to enable the company to change its Registered Office from the "State of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
Plot No. 112, Ground Floor, Pkt-G, Sec 1, Bawana DSIDC, Landmark Near Shivam Plaza, West Delhi - 110039

For and on behalf of the Petitioner
SSG Furnishing Solution Limited
Sd/-
Chander Bhushan Mishra
Director
DIN • 02149467

Date: August 02, 2024
Place: New Delhi

कार्यालय ग्रा.पं. कुतुआपुर, वि.खं. ददरौल (शाहजहांपुर)

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के सत्रावित वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व नरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इण्टरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर, हैण्डपम्प मरम्मत, हथुम पाइप क्रय, बाल पोर्टेबल, स्कूल शौचालय निर्माण/ मरम्मत, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनवाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बाउण्ड्री बाल निर्माण, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रार्ड-पुताई, CSC सेन्टर निर्माण, सोकपिट निर्माण, रैनवाटर हार्वेस्टिंग, आर.आर.सी. केन्द्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैण्डपम्प रेट्रो फिटिंग, समरसेबिल कार्य, लाइट फिटिंग तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराये जाने हैं।

उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इण्टरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेन्ट, मोरंग, बजरी, सरिया, लोहा, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगिल बाटर, टिन चादर, टोंटी, प्रेशर प्रसार कोर्ड, स्टेनलरी पटान हेतु मिट्टी/ रखड़, डिलिया क्रय, ई रिक्सा क्रय, सफाई कर्मियों के लिए पी.पी.ई. किट व सैनीटाइजर मास्क, झाड़ीन, सफाई किट, कुड़ादान, लोहे के गेट व बिंडो, अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबन्द निविदायें ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 05.08.2024 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। जो दिनांक 06.08.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

प्रमोद कुमार, ग्राम प्रधान | **अनिल सिंह, सचिव**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

केस नंबर : ओए/334/2024

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1993 के नियम 5 के उप -नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन

पंजाब नैशनल बैंक एक्सएनए नंबर : 22918
कमान
श्री मूरलीधर इंडस्ट्रीज कुमार

सेवा में
(1) मेसर्स श्री मुरलीधर इंडस्ट्रीज
ग्राम बणोली तहसील राढ़ौर, जिला यमुनानगर हरियाणा अपने साझेदारों 2 से 5 के माध्यम से
(पैन नं. ADNFS1744B)
(2) श्री विजय कुमार पुत्र श्री जय भगवान
निवासी मकान नंबर 14, हरवंसपुरा, आईटीआई के पास, यमुनानगर हरियाणा - 135001।
(3) श्री राजन सोंधी पुत्र श्री तारविंदर सोंधी
निवासी मकान नंबर 52/75, थापर कॉलोनी, एमएलएन कॉलेज के पास, यमुना नगर हरियाणा - 135001।
(4) श्री मोहित साहनी, एस. सी. साहनी के पुत्र
मकान नंबर 296 आर, मॉडल टाउन, यमुना नगर हरियाणा - 135001 का निवासी।
(5) श्रयाम लाल गोयल पुत्र शिव प्रसाद गोयल
निवासी मकान नंबर 524-8, चोपड़ा गार्डन, यमुना नगर हरियाणा - 1350011
पर भी. श्याम लाल गोयल पुत्र शिव प्रसाद गोयल निवासी मकान नंबर 507, वार्ड नंबर 3, न्यू कॉलोनी
लाडवा, जिला कुरूक्षेत्र हरियाणा। कुरूक्षेत्र, हरियाणा
(6) प्रीति साहनी स्वर्गीय मनीष साहनी की विधवा
निवासी मकान नंबर 296 आर, मॉडल टाउन यमुना नगर हरियाणा - 135001
पर भी. प्रीति साहनी, दिवंगत मनीष साहनी की विधवा, टीएच-046, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स,
बड़ा गांव के पास, सेक्टर 86, खेड़की दौला, गुड़गांव हरियाणा - 1220041 गुड़गांव, हरियाणा - 1220041
(7) विजय कुमार की पत्नी सुरेश रानी
निवासी मकान नंबर 14, हरवंसपुरा, यमुनानगर हरियाणा - 1350011

समन

चूंकि, ओए /334/2024 को 14.05.2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर ओए 9352515.41/- रूपये के ऋण की वसूली के लिए आपके खिलाफ दावा नोटिस / समन जारी किया है। (आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां इसादि संलग्न)।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नलुसार निर्देशित किया जाता है :-

(i) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताओ कि प्रार्थना में दी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन के ऊ0 संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के विवरण का खुलासा करें।

(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत दावा की गई सुरक्षित संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों के निपटान या निपटान से रोका गया है।

(iv) आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम में, किसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेंगे, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है और / या अन्य संपत्ति और संपत्ति जो दिव्यूमन्त के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन के क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई है।

(v) आप स्थापन के सामान्य क्रम में सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री की आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

आपको लिखित विवरण दाखिल करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है एवं इस लिखित विवरण को एक कार्यी आवेदक को भी दे देवें और 12.08.2024 को पूर्वाहन 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिती में निर्णय लिया जाएगा।

दिनांक 15.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा जारी की गई है।

समन्न जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

Canara Bank

शाखा कॉर्पोरेट शाखा – पीबीबी: केनरा बैंक बिल्डिंग, 7 विंग प्रथम तल, सी–14, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई 400051
ईमेल: cb5310@canarabank.com

ऋण पुस्तिकाओं के निष्पादन प्रस्ताव के लिए ई–नीलामी नोटिस

स्विस चैलेंज पद्धति के तहत ऋण सुविधाओं के निष्पादन प्रस्ताव के लिए ई–नीलामी नोटिस

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(यों)/ बंधककर्ता(ओं) और सिक्योरर(ओं) को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ट्रॉयल कॉर्पोरेशन प्रॉसेस प्राइवेट लिमिटेड ("आईसीटीएल") के ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई नीचे वर्णित ऋण सुविधाओं का निष्पादन "जहां है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारा के" आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। केनरा बैंक ("सीबी या 'लीड बैंक'), पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (तृतीयक रूप से सिंडिकेट क्रेडिटर्स" या "लेंडर्स" या सिंडिकेट) से विवरण को नीचे दी गई तालिका(ओं) से निकाला जाने वाले ऋण सुविधाओं के लिए ई–नीलामी के माध्यम से बिना पूर्व नोटिस प्रस्ताव ("प्रेफर बिड") पर आमंत्रित है, जिसका उद्देश्य रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्रेडिटर्स के बकाया कर्जदारों की वसूली के साथ–साथ आय के माध्यम, कुछ और सामान आदि की बहुतों वसूल है। विवरण की वेबसाइट देखने में कोई दिक्कत होने पर संभावित बोलीदाता किसी भी उपलब्ध राशि के लिए बोली लगा सकते हैं और प्रेफर बोलीदाता को उसी राशि का विवरण करने का अधिकार होगा। और यदि प्रेफर बोलीदाता उपलब्ध बोली का विवरण करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता अनिवार्यतः ई–नीलामी में उपलब्ध बोली लगाने वाले के साथ समझौते करेंगे।

**ऋणदाता केनरा बैंक पात्र व्यक्ति/संस्था पर जिसे बोलीदाता किसी ऋणदाता का प्रस्ताव पत्र भी देखाइए कि सुविधाओं का अन्य ऋणदाताओं